न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री महेन्द्र लोढ़ा

निगरानी संख्या 48/17 तारीख रजू– 04/09/17

केदार पुत्र श्री कृष्ण उम्र 70 साल पेशा काश्तकारी निवासी ग्राम धनौली तहसील व जिला सवाई माधोपुर । ——निगरानी गुजार (प्रार्थी)

बनाम

सुरज्ञान मीणा संरपच ग्राम पंचायत मैनपुरा तहसील व जिला सवाई माधोपुर ।
–अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक– 3/5/18

प्रार्थीगण ने यह निगरानी प्रार्थनापत्र ग्राम पंचायत मैनपुरा के पट्टा संख्या 41 में पारित निर्णय दिनांक 15/1/99 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। जिसके द्वारा सार्वजनिक मीना समाज धनोली के पक्ष में पट्टा जारी किया है तथा निगरानीगुजार द्वारा निगरानी प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत मैनपुरा के पट्टा संख्या 41 निर्णय दिनांक 15/01/99 निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

निगरानी न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर से स्थानान्तरण होकर वास्ते बहस न्यायालय हाजा में प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील निगरानी गुजार ने निगरानी मे वर्णित तथ्यो का हवाला देते हुए बहस मे निवेदन किया कि प्रार्थी के स्वामित्व व कब्जे का एक बाडा ग्राम धनोली मे स्थित है। प्रार्थी का यह बाडा प्रार्थी के पुश्तैनी स्वामित्व का है, जिसे प्रार्थी के पूर्वज भी बाड़ा के काम लेते थे। इस बाडे के चारों तरफ पत्थर की दीवार में मकान तामीर करने की स्वीकृति हेतु प्रार्थी ने ग्राम पंचायत मैनपुरा में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जिस पर नियमानुसार आपत्ति नोटिस जारी किये गये तथा पंचों द्वारा मौका निरीक्षण कर दिनांक 22/11/1969 को पत्रावली सं0 12 द्वारा ग्राम पंचायत मैनपुरा ने प्रार्थी को निर्माण की इजाजत प्रदान कर दी तथा अदालत मातहत ने गलत तरिके से उक्त भूमि का मीणा समाज धनोली के लिए पट्टा जारी कर दिया जो अदालत मातहत ने मीणा समाज धनोली को पट्टा जारी करने से पूर्व ना तो आपत्ति नोटिस जारी किया गया है ना ही पंचो के द्वारा कोई मौका दिखवाया गया है। अदालत मातहत द्वारा मीणा समाज से मिलकर गलत तरीके से पट्टा जारी कर दिया जो निरस्त योग्य है, साथ ही वकील निगरानीगुजार ने ग्राम पंचायत मैनपुरा के पट्टा संख्या 41 निर्णय दिनांक 15/01/99 निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने दौराने बहस निवेदन किया है कि उक्त निगरानी मियाद बाहर होने के कारण निरस्त योग्य है। पट्टा वर्ष 1999 में बना जबकि निगरानीगुजार द्वारा वर्ष 2011 में निगरानी पेश की है। उक्त पट्टा मीणा समाज के नाम जारी हुआ है तथा निगरानीगुजार द्वारा मीणा समाज को पक्षकार नहीं बनाया गया है। उक्त निगरानी में निगरानीगुजार का कथन है कि पट्टा उनकी कब्जे की भूमि में दिया गया है ,जबकि उक्त दोनों भूमि पृथक–पृथक है तथा निगरानीगुजार ने इजाजत बाबत् जो प्रार्थना पत्र अदालत मातहत में पेश किया है उसकी व

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

पट्टा जो मीणा समाज को जारी किया गया है दोनों की सीमाऐं अलग–अलग है,साथ ही वकील निगरानीगुजार ने पंचायत मैनपुरा के पट्टा संख्या 41 निर्णय दिनांक 15/01/99 यथावत रखने हेतु निवेदन किया है।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने व अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन करने पर सर्वप्रथम यह पाया गया कि निगरीनगुजार द्वारा उक्त निगरानी में मीणा समाज के किसी प्रतिनिधि को पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि मीणा समाज ने पट्टा जारी करने हेतु संरपच ग्राम पंचायत मैनपुरा में आवेदन किया था तथा उक्त आवेदन पर नियमानुसार एक माह का आपत्ति नोटिस जारी किया गया, मौका रिपोर्ट ली गई। तत्पश्चात् मीणा समाज के लिए पट्टा जारी किया गया तथा निगरानीगुजार द्वारा प्रस्तुत निगरानी व पट्टे में अंकित सीमाएं भी पृथक–पृथक है। अतः हमारे विनम्र अभिमत में अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित व विधि अनुरूप प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरीन गुजार द्वारा प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार करते हुए ग्राम पंचायत मैनपुरा के पट्टा संख्या 41 निर्णय दिनांक 15/01/99 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 3.5.18 को लिखया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढ़ा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर